News Letter Issue No. 32, November, 2025

SOCIETY FOR EMPOWERMENT

प्रारंभ

"आरोग्यं परमं भाग्यम्।"

Newsletter For Senior Citizen Employment Opportunities

TABLE OF CONTENT

1. Editorial – Shri N N Pandey IAS Retd.
2. संपादकीय : संविधान — हमारी आत्मा, हमारा दायित्व
3. Job Openings For Seniors
4. Indian Constitution and Senior Citizens' Rights-Prof S. Narayan
5. संविधान की पंचम अनुसूची और छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्र : संवैधानिक दृष्टि से एक मानववैज्ञानिक अध्ययन - डॉ. रुपेन्द्र कवि
6. Senior citizens & Walking on Road - Prakhar
7. संस्कृति में परिवार, परिवार की उत्पत्ति, पारिवारिक विघटन और भारतीय संविधान के द्वारा परिवारों की सुरक्षा" - उमराव सिंह वर्मा
8. संविधान निर्माण में छत्तीसगढ़ का योगदान - गजेन्द्र कुमार साहू
9. Gift Deed - Blessing or Curse - Yog Mohanty
10. Cold November Evenings: Enjoy Healthy Soups and Hot Drinks - Ms Savita More
11. November 2025 – Days and Its Importance- Ms Swayam Siddha Dash
12. SFE Activities

Special Edition Editor –Dr. Rupendra Kavi

Editorial Team-
Editor:
Shri N. N. Pandey
former IAS

Associate Editor –
Ms. Savita More

Assistant Editor-
Ms. Swayamsiddha Dash
PG Scholar Amity University

CA-
Ashish Niraj
Financial Advisor

By **Shri N. N. Pandey**
Retired IAS Jharkhand

EDITORIAL

The Constitution — Our Soul, Our Responsibility

November holds a special place in India's democratic journey. It was on **26th November 1949** that the **Constitution of India** — the soul of our Republic — was adopted. More than a legal document, it is a living expression of our collective conscience, guiding us toward justice, liberty, equality, and fraternity.

This issue of PRARAMBH celebrates that constitutional spirit — exploring its meaning, its relevance for senior citizens, and its role in shaping a humane and inclusive India.

Prof. S. Narayan, in his article "Indian Constitution and Senior Citizens' Rights," highlights the constitutional safeguards that uphold the dignity and equality of the elderly under Articles 14, 21, and 41. **Dr. Rupendra Kavi's** scholarly piece on "The Fifth Schedule and the Tribal Areas of Chhattisgarh" presents a constitutional and anthropological reflection on India's tribal identity and self-governance.

Gajendra Kumar Sahu revisits Chhattisgarh's contribution to India's Constitution-making, recalling the region's intellectual and moral role in shaping democratic values. **Umrao Singh Verma**, in "Family, Culture, and the Constitution," reflects on the family as both a cultural and constitutional institution — a symbol of India's enduring social harmony.

Our regular feature, **"Job Openings for Seniors,"** continues to promote meaningful engagement for older citizens, while **Prakhar's** article "Senior Citizens and Walking on the Road" reminds us that road safety and pedestrian rights are integral to the right to life and dignity.

Yog Mohanty's "Gift Deed — Blessing or Curse" examines legal and emotional aspects of property transfer among seniors, while **Ms. Savita More's** lifestyle feature "Cold November Evenings" brings warmth to the season through healthy soups and hot drinks.

The **Society for Empowerment (SFE)** marked this month with Constitution Day dialogues, senior employment workshops, and "Know Your Rights" awareness programmes — reinforcing our shared belief that an empowered senior citizenry strengthens the spirit of democracy.

As we reflect on this foundational charter, let us remember that the Constitution is not only a set of laws — it is a **way of life**. It calls upon every generation to act with compassion, fairness, and responsibility.

Editorial Team, PRARAMBH
Society for Empowerment | November 2025 Issue

डॉ. रूपेन्द्र कवि

संपादकीय :
संविधान-हमारी आत्मा, हमारा दायित्व

(मानवशास्त्री, साहित्यकार, समाजसेवी, वर्तमान में -
उप सचिव, संवैधानिक प्रकोष्ठ, छत्तीसगढ़ राजभवन)

भारत का संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज नहीं है; यह हमारे लोकतंत्र की जीवंत आत्मा है। यह न केवल अधिकारों का स्रोत है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक नेतृत्व की दिशा निर्धारित करता है। इसके आदर्श — न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता — केवल शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार और नीति निर्माण में जीवन्त होने चाहिए।

संविधान दिवस, 26 नवम्बर को मनाया जाता है, हमें स्मरण कराता है कि संविधान की महानता केवल निर्माण में नहीं, बल्कि उसके सतत् पालन और व्यवहार में निहित है। यह दिवस हमें प्रेरित करता है कि हम समाज में न्याय, समानता और भाईचारे को प्रकट करें और विशेषकर कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

पाँचवीं और छठी अनुसूचियों के माध्यम से आदिवासी और प्रवासी समुदायों के अधिकारों और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास की प्रक्रिया में कोई वर्ग पिछड़ न जाए और सभी को सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिले।

भारतीय नागरिकों के लिए संविधान का महत्व केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है। यह हमें हमारे कर्तव्यों, नैतिक उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक संरक्षण का मार्गदर्शन भी देता है। जब हम संविधान की भावना को अपने कर्मों में उतारते हैं, तो हम न केवल अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं, बल्कि समाज में समानता, न्याय और स्थायित्व को भी मजबूत बनाते हैं।

इस संविधान दिवस पर हम यह संकल्प लें कि हम अपने अधिकारों का प्रयोग न्याय और समानता के लिए करेंगे, और अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी, संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ करेंगे। यही भारतीय नागरिक होने की वास्तविक गरिमा है और यही हमारे लोकतंत्र की स्थिरता और शक्ति का आधार है।

JOB OPENINGS FOR SENIORS

A Unique Initiative For Seniors wherein the Job Openings for the Seniors above Age of 50 is delved out for their information knowledge and competitiveness.

- **Secretary-Delhi Urban Art Commission (DUAC)- Max Age upto 56- Position in Delhi**
  https://mohua.gov.in/upload/whatsnew/68e8cc19b90e3Scan_0002.pdf

- **Consultants- Central Administrative Tribunal- Max Age upto 65- Position in New Delhi, Ahmedabad, Cuttack, Guwahati, Hyderabad, Jabalpur, Jaipur, Jammu, Jodhpur, Lucknow and Srinagar**
  https://cgat.gov.in/CAT_application/public/research/uploads/68dd850cf0263_Contract_Circular_01.10.2025_compressed1_compressed.pdf

- **Executive Director- AIIMS Vijaypur (Samba), Jammu- Max Age upto 65- Position in Vijaypur (Samba), Jammu**
  https://mohfw.gov.in/sites/default/files/advt%20web%20eng_12.pdf

- **Consultants- National Zoological Park- Max Age upto 65- Position in New Delhi**
  https://moef.gov.in/storage/tender/1760698949.pdf

For Senior Jobs visit https://www.sfe.org.in/job_search.php

Indian Constitution and Senior Citizens' Rights

Prof Sachindra Narayan

India, with its civilizational ethos of *"Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava"*, has always valued the elderly as repositories of wisdom and experience. As India's ageing population is growing rapidly, and the Constitution provides a strong moral and legal foundation for their protection and dignity

Constitutional Framework Supporting Senior Citizens

Though the Constitution does not have a specific Article exclusively for senior citizens, several Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy (DPSPs) collectively ensure their protection.

A. Fundamental Rights

1. **Article 14 – Equality before Law:**

   Guarantees equal protection to all citizens, irrespective of age. Any discrimination against the elderly in employment, healthcare, or access to services violates this right.

2. **Article 15 – Prohibition of Discrimination:**

   The State cannot discriminate on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. This includes equal opportunities and rights for older persons in social and economic life.

3. **Article 21 – Right to Life and Personal Liberty:**

   The Supreme Court has interpreted this as the right to live with dignity, encompassing access to shelter, healthcare, livelihood, and emotional security — all essential to senior citizens' well-being.

B. Directive Principles of State Policy (DPSPs)

I. **Article 38:**

   Directs the State to promote welfare of the people by securing a social order based on justice — social, economic, and political — which naturally includes protection for the elderly.

II. **Article 41 – Right to Work, Education and Public Assistance:**

   Explicitly mandates the State to make effective provision for public assistance in cases of old age, sickness, and disablement.

III. **Article 46:**

   Calls for the promotion of educational and economic interests of weaker sections — this can be interpreted to include senior citizens living in poverty or without family support.

IV. Article 47:

Obliges the State to raise the level of nutrition and standard of living and to improve public health, which are crucial for elderly care.

C. Legal Safeguards and Policies

I. The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007:

- Legally obliges children and heirs to provide maintenance to parents and senior citizens.
- Provides for old-age homes and protection against neglect and abuse.
- Empowers tribunals to enforce maintenance orders quickly.

II. National Policy for Senior Citizens (2011):

- Aims to ensure financial and food security, healthcare, shelter, and protection against exploitation.
- Encourages community participation and senior citizen associations.

III. Programmes and Schemes:

- Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS) under NSAP.
- Integrated Programme for Older Persons (IPOP).
- Ayushman Bharat and PM-JAY for geriatric healthcare.
- Varishtha Pension Bima Yojana and Senior Citizen Savings Scheme for financial security.

D. Policy Framework for the Future

- **National Commission on Ageing (NCA):** A high-level constitutional body akin to NITI Aayog for coordinating ageing-related policies across ministries.
- **Digital Maintenance Tribunals:** Online grievance redress for maintenance and abuse cases under the 2007 Act.
- **Elder Abuse Tracking Portal:** A data-driven national registry for complaints, interventions, and outcomes.
- **Age-Responsive Budgeting:** Mandate all ministries to allocate specific "Senior Citizen Impact" lines, just as Gender Budgeting is done.
- **Public–Private Elder Care Partnerships (PPECP):** Model concession agreements for private participation in building old-age homes, care centers, and wellness resorts.

State	Monthly Pension Rate	Eligibility / Notes
Gujarat	₹ 1,000/month (60-79 yrs) & ₹ 1,250/month (80+ yrs)	"Financial assistance to destitute older persons (state scheme)".
Maharashtra	₹ 1,300/month (65-79 yrs) & ₹ 1,000/month (80+ yrs) under state top-up; total including central IGNOAPS.	"Shravan Bal Seva Rajya Nivrutti Yojana" for elderly 65+ years.
Tamil Nadu	₹ 1,200/month for elderly under state social security schemes (from Aug 2023)	Pension for eligible seniors 60+ yrs with economic criteria.
Andhra Pradesh	₹ 4,000/month (state flagship "NTR Bharosa" pension for elderly/widows etc)	Announced July 2024; old-age/widow categories among beneficiaries.
Odisha	Under Madhu Babu Pension Yojana: ₹ 1,000/month (60-79 yrs) & ₹ 1,200/month (80+ yrs)	Old-age pension category for seniors under MBPY.
Tamil Nadu	₹ 1,200/month for eligible seniors announced Aug 2023	Seniors aged 60+ yrs with eligibility criteria under state scheme.
Gujarat	₹ 1,000/month (60-79 yrs) & ₹ 1,250/month (80+ yrs) for elderly under state scheme	"Financial assistance to destitute older persons" scheme – state top-up over central pension.
Rajasthan	₹ 1,000/month (old-age pension) under "Chief Minister Old Age Pension Scheme" (regardless of age band)	Men 58+ yrs, Women 55+ yrs; annual family iIncome ≤ ₹ 48,000. Govt Schemes India+1
Maharashtra	₹ 1,300/month for age 65-79; ₹ 1,000/month for age 80+ under the state top-up scheme. Social Justice Dept.	For eligible elderly under state implementation of IGNOAPS top-up

Source: Maharashtra SJ&SA Dept page; Govt of Rajasthan scheme details; Gujarat Social Justice Dept page; Deccan Herald article; Odisha SSEPD portal; State SSP portal; Tamil Nadu press release; Maharashtra SJ&SA Dept.; Gujarat Social Justice Dept

The ageing population is not a challenge—it is an *untapped national resource.* By leveraging technology, policy innovation, and compassion, India can turn demographic maturity into a **"Silver Dividend."** The seniors who built this nation deserve not just care, but opportunity — to keep contributing, mentoring, and leading the society they helped create.

****

डॉ. रुपेन्द्र कवि

संविधान की पंचम अनुसूची और छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्र संवैधानिक दृष्टि से एक मानववैज्ञानिक अध्ययन

(मानववैज्ञानिक, साहित्यकार एवं समाजसेवी; वर्तमान में
उप सचिव, संवैधानिक प्रकोष्ठ, राजभवन, छत्तीसगढ़)

सारांश (Abstract)

भारतीय संविधान में जनजातीय समुदायों के प्रशासन और विकास हेतु विशेष संवैधानिक तंत्र की व्यवस्था की गई है। पंचम अनुसूची उन राज्यों पर लागू होती है जहाँ अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या बहुसंख्यक है। छत्तीसगढ़, जो अपनी सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक संपदा और जनजातीय जीवन-मूल्यों के लिए प्रसिद्ध है, इस अनुसूची के अंतर्गत आता है। प्रस्तुत शोध-पत्र में छत्तीसगढ़ राज्य में पंचम अनुसूची के संवैधानिक, प्रशासनिक एवं मानववैज्ञानिक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन यह प्रतिपादित करता है कि संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक स्वशासन के बीच समन्वय, जनजातीय समाज के सशक्तिकरण की दिशा में एक व्यवहारिक मार्ग प्रशस्त करता है।

मुख्य शब्द: संविधान, पंचम अनुसूची, छत्तीसगढ़, जनजातीय क्षेत्र, राज्यपाल की भूमिका, ग्राम सभा, PESA अधिनियम, मानवविज्ञान।

1. प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय संविधान ने सामाजिक न्याय और समानता को अपने मूल सिद्धांतों में समाहित किया है। जनजातीय समाज, जो प्राकृतिक जीवनशैली, सामुदायिक सहयोग और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है, भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक आत्मा में विशिष्ट स्थान रखता है।

संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि इन समुदायों की विशिष्ट पहचान और स्वशासन की परंपरा को संरक्षित रखा जाए — इसी दृष्टि से अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत पंचम अनुसूची का प्रावधान किया गया।

छत्तीसगढ़, जो 1 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया, भारत का प्रमुख जनजातीय राज्य है जहाँ लगभग 30 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है। राज्य के 85 विकासखंड पंचम अनुसूची के अधीन हैं, जो प्रदेश के लगभग 44 प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत हैं।

2. अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

छत्तीसगढ़ में पंचम अनुसूची के संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण करना।

राज्यपाल एवं जनजातीय सलाहकार परिषद (TAC) की भूमिका को समझना।

PESA अधिनियम, 1996 के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करना।

संवैधानिक प्रावधानों का मानववैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करना।

3. कार्यप्रणाली (Methodology)

यह शोध वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक विधि (Descriptive & Analytical Method) पर आधारित है।

स्रोतों में — संविधान, सरकारी रिपोर्टें, छत्तीसगढ़ जनजातीय कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्टें, नीति आयोग के दस्तावेज, तथा क्षेत्रीय मानववैज्ञानिक अध्ययन सम्मिलित हैं।

4. पंचम अनुसूची की संवैधानिक रूपरेखा (Constitutional Framework of the Fifth Schedule)

घटक विवरण

संविधान अनुच्छेद अनुच्छेद 244(1)

लागू क्षेत्र जनजातीय बहुल राज्य

मुख्य प्राधिकरण राज्यपाल, जनजातीय सलाहकार परिषद (TAC), राष्ट्रपति

राज्यपाल की भूमिका अनुसूचित क्षेत्रों में कानूनों का संशोधित या आंशिक अनुप्रयोग

केंद्रीय पर्यवेक्षण राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 275(1), PESA अधिनियम 1996

5. छत्तीसगढ़ में पंचम अनुसूची का क्रियान्वयन (Implementation in Chhattisgarh)

(क) अनुसूचित क्षेत्र की स्थिति:

छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोरबा, जशपुर, सरगुजा और कबीरधाम जिले पंचम अनुसूची के अधीन आते हैं। ये क्षेत्र जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक संपदा और सामुदायिक जीवन के केंद्र हैं।

(ख) राज्यपाल की भूमिका:

राज्यपाल संवैधानिक रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में नीतिगत निर्णयों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालने की शक्ति रखते हैं। यह व्यवस्था संवैधानिक लचीलापन और स्थानीय आत्मनिर्णय की भावना को सुदृढ़ करती है।

(ग) जनजातीय सलाहकार परिषद (TAC):

राज्यपाल की सलाह के लिए गठित परिषद जनजातीय हितों से संबंधित विषयों पर परामर्श देती है। छत्तीसगढ़ में इसकी अनुशंसाएँ जनजातीय कल्याण नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शक सिद्ध होती हैं, यद्यपि इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्थागत समन्वय आवश्यक है।

(घ) PESA अधिनियम, 1996:

PESA छत्तीसगढ़ में 1997 से लागू है। यह ग्राम सभाओं को जल, जंगल और जमीन पर नियंत्रण के अधिकार देता है। बस्तर और सरगुजा में कई ग्राम सभाओं ने स्थानीय संसाधन प्रबंधन की उल्लेखनीय मिसालें पेश की हैं।

6. मानववैज्ञानिक दृष्टिकोण (Anthropological Perspective)

छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ — गोंड, मुरिया, हल्बा, बैगा, उरांव, बिंझवार आदि — मानववैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन की समृद्ध परंपरा रखती हैं। इनकी सामाजिक संरचना में सामूहिकता, प्रकृति-संवेदनशीलता और सहयोग की भावना प्रमुख है।

पंचम अनुसूची की संवैधानिक संरचना इन समुदायों को विधिक संरक्षण के साथ-साथ स्वशासन की मान्यता भी प्रदान करती है। ग्राम सभा यहाँ केवल प्रशासनिक संस्था नहीं, बल्कि सामुदायिक चेतना और सांस्कृतिक आत्मबल की अभिव्यक्ति है।

7. प्रमुख चुनौतियाँ (Challenges)

औद्योगिकीकरण व खनन के कारण भूमि विस्थापन।

ग्राम सभाओं की सीमित कार्यक्षमता और प्रशासनिक समन्वय की कमी।

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में असमानता।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजनाओं का आंशिक क्रियान्वयन।

संवैधानिक और नीतिगत स्तर पर समन्वय की कमी।

8. विश्लेषण एवं निष्कर्ष (Analysis and Conclusion)

छत्तीसगढ़ में पंचम अनुसूची का क्रियान्वयन केवल संवैधानिक व्यवस्था नहीं, बल्कि जनजातीय समाज के आत्मबल और स्वशासन की परंपरा का मानववैज्ञानिक रूपांतरण है।

राज्यपाल की भूमिका, TAC की परामर्शी प्रकृति और ग्राम सभाओं की स्वायत्तता मिलकर एक बहुस्तरीय शासन संरचना का निर्माण करती हैं।

यह संरचना विकास को केवल आर्थिक उन्नति नहीं बल्कि सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता और सामुदायिक चेतना के रूप में परिभाषित करती है।

9. सिफ़ारिशें (Recommendations)

TAC की अनुशंसाओं को नीति-निर्माण में बाध्यकारी स्वरूप दिया जाए।

ग्राम सभाओं को वित्तीय व कानूनी अधिकारों के साथ प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाए।

PESA अधिनियम के क्रियान्वयन में सामाजिक लेखा-जोखा प्रणाली विकसित की जाए।

स्थानीय भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान को शिक्षा और प्रशासन में समाहित किया जाए।

संवैधानिक संस्थाओं और जनजातीय समुदायों के मध्य सतत संवाद स्थापित किया जाए।

10. सन्दर्भ (References)

1-भारत का संविधान, अनुच्छेद 244 एवं पंचम अनुसूची।

2-छत्तीसगढ़ जनजातीय कल्याण विभाग, वार्षिक प्रतिवेदन 2024–25।

3-Planning Commission, Report on Scheduled Areas and Tribes, 2018।

4-Khakha Committee Report on Tribal Development, 2014।

5-PESA (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996।

6-Singh, K.S. (2012). People of India: The Scheduled Tribes. Anthropological Survey of India.

7-Shrivastava, R. (2020). Tribal Governance in Chhattisgarh: Challenges and Prospects. New Delhi: Sage.

8-Kavi, Rupendra. (2015). Bastar Mein Adivasi Vikas. New Delhi: B.R. Publication.

✍ लेखक परिचय *(About the Author)*

डॉ. रूपेन्द्र कवि — प्रख्यात मानववैज्ञानिक, साहित्यकार एवं समाजसेवी हैं। आपने छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति, लोक परंपरा और संवैधानिक प्रशासनिक संरचनाओं पर दीर्घकालीन अध्ययन किया है। आपकी पुस्तक *"बस्तर में आदिवासी विकास" (*बी.आर. पब्लिकेशन, दिल्ली, ***2015)*** जनजातीय अध्ययन के क्षेत्र में एक मानक कृति मानी जाती है। वर्तमान में आप राजभवन, छत्तीसगढ़ के संवैधानिक प्रकोष्ठ में उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

SENIOR CITIZENS & WALKING ON ROAD
PRAKHAR

For senior citizens, walking isn't just a mode of transport — it's a symbol of independence and self-reliance. They retain autonomy, physical activity, and social interaction — all essential for mental and physical well-being.

India's 60+ population will reach 330 million by 2050. Safe pedestrian systems are a precondition for seniors to participate in local economies — visiting markets, volunteering, working part-time. It directly links to your Senior Jobs initiative — mobility enables employability.

Cities that plan for seniors (barrier-free pavements, benches, signage, crossings) become more liveable for everyone.

The right of senior citizens as pedestrians is a vital part of ensuring dignity, safety, and independence in old age. It draws strength from constitutional guarantees, judicial pronouncements, and human rights frameworks.

The **UN Madrid International Plan of Action on Ageing (2002) and the WHO Age-friendly Cities Framework** urge member states to ensure safe mobility for older people as a precondition for independent living and participation in community life.

Pedestrian rights for seniors are backed by multiple frameworks:

Legal / Policy Basis	Protection for Seniors
Article 21 (Right to Life)	Safe movement, freedom from avoidable risk
Article 41 (Right to Public Assistance)	State must make provisions for old age and disability
Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007	Mandates safe and dignified living for elders
National Policy for Senior Citizens, 2011	Calls for elder -friendly public spaces and mobility
SC 2025 Orders	Recognized footpaths as a fundamental right under Article 21

➢ **Article 21 – Right to Life and Personal Liberty:**

The Supreme Court has consistently interpreted "life" under Article 21 to mean **a life of dignity**, not mere survival. For senior citizens, safe and accessible walking spaces form an essential part of that dignity.

- The Court in S. Rajaseekaran v. Union of India (2025) held that safe, unobstructed, and disabled-friendly footpaths are integral to the right to life.
- This includes protection from open drains, potholes, encroachments, and illegal parking.

➢ **Article 41 – Right to Public Assistance in Old Age:**

Directs the State to make provisions for security and welfare of senior citizens, which includes facilitating mobility and accessibility in public spaces.

➢ **Article 14 – Right to Equality:**

Denial of safe walking facilities to older persons, who are more vulnerable, amounts to discrimination on the basis of age and physical capacity.

Why Pedestrian Rights Are Crucial for Senior Citizens

1. **Physical Vulnerability:**

   Seniors face reduced vision, slower reflexes, and balance issues. Poor sidewalks, speeding vehicles, or lack of crossing signals make them more susceptible to fatal accidents.

   - According to MoRTH's *Road Accidents in India (2023)*, over **10% of pedestrian deaths** were among people aged 60+.

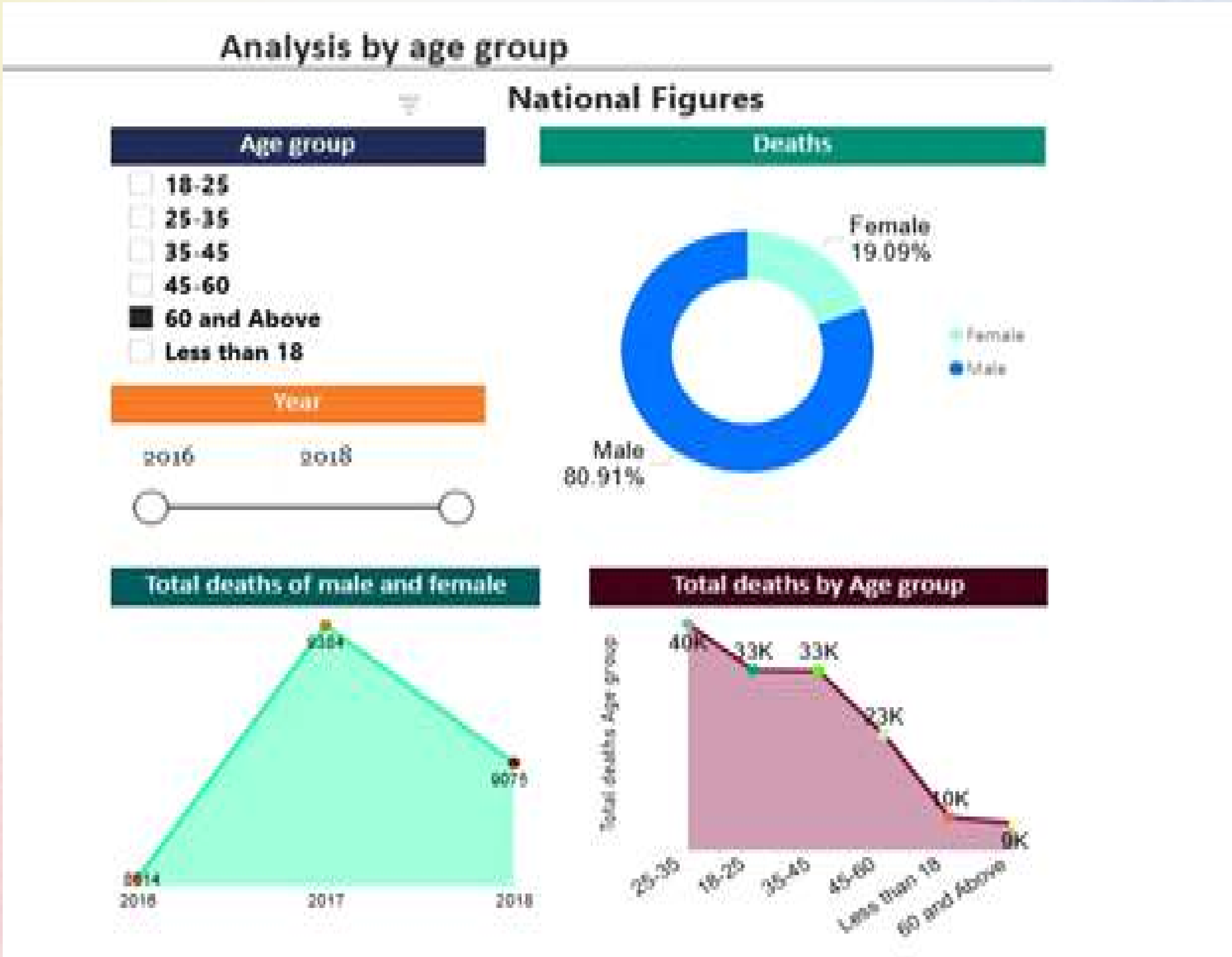

The Supreme Court of India has issued an order setting out exhaustive guidelines and directions to the state governments to ensure pedestrian safety and curb rising road accidents across India, following a decadelong litigation initiated by Dr. S. Rajaseekaran under Article 32 of the Indian Constitution.
The Court observed, “Pedestrians, being the most vulnerable road users, are increasingly at risk. Footpaths and pedestrian infrastructure are frequently unlawfully encroached and misused, exposing them to grave risks… There is a dire need to ensure that pedestrian crossings, whether at intersections or otherwise, are safe so that pedestrians are not run over by vehicles while crossing the roads.”

The publication “Road Accidents in India 2023” by the Ministry of Road Transport and Highways [MoRTH] indicates that there have been 1,72,890 deaths in road accidents in India in the year 2023, out of which 35,221 are pedestrian deaths, which is an increase of 7.30% from the year 2022. Thus, 20.40% of deaths on Indian roads were of pedestrians.
The Supreme Court in J.B. PARDIWALA & K.V. VISWANATHAN, JJ., WRIT PETITION (C) NO. 295 OF 2012 has directed all the states and UTs to formulate and notify rules under Section 138(1A) of the Motor Vehicles Act, 1988 (MV Act) within a period of six months. It has further directed all the states and UTs to formulate and notify rules under Section 210-D of the MV Act within a period of six months for design, construction and maintenance of standards for roads other than national highways.
By its order Court has issue directions on five important aspects in the hope that compliance of said directions would help in reduction of road accidents and fatalities. These directions relate to (i) safety of pedestrians while walking on footpaths, (ii) making pedestrian crossings safe (iii) wearing of helmets (iv) Wrong lane driving and unsafe overtaking, and (v) Use of dazzling LED white lights, unauthorized sale and misuse of red blue strobe lights and hooters.
As per the Ministry of Road Transport and Highways [MoRTH] December 2011 publication captioned “Road Accidents in India 2010” states that "Road accidents are a human tragedy. They involve high human suffering and monetary costs in terms of untimely deaths, injuries and loss of potential income, which need for active involvement of all stakes holders to promote policy reform and implementation of road safety measures. Addressing road safety in a comprehensive manner underscores the need to involve multiple agencies/sectors like health, transport and police”.

Thus, protecting **pedestrian rights = protecting senior lives**

Safe pedestrian infrastructure encourages:

- **Active ageing** — regular walking lowers risks of heart disease, diabetes, and depression.
- **Social engagement** — seniors meet peers in parks, temples, or neighbourhoods.
- **Reduced dependence** on family or vehicles, strengthening confidence and morale.

https://legal.economictimes.indiatimes.com/news/law-policy/sc-directs-all-the-states-and-uts-to-formulate-rules-regarding-pedestrian-safety/124380263?utm_source=chatgpt.com

"संस्कृति में परिवार, परिवार की उत्पत्ति, पारिवारिक विघटन और भारतीय संविधान के द्वारा परिवारों की सुरक्षा"

उमराव सिंह वर्मा

परिवार, मानव समुदाय की एक मूलभूत इकाई है, किसी भी परिवार का प्रत्येक सदस्य, उस परिवार का सदस्य होने के साथ-साथ, देश के नागरिक हैं, जिसका संरक्षक संविधान होता है और संविधान के अनुच्छेद 14 में देश के प्रत्येक नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है अर्थात परिवार के सभी सदस्य कानून के समक्ष समान हैं क्योंकि वे देश के नागरिक हैं, और सभी को समान रुप से जीवन जीने का अधिकार है।

वहीं अनुच्छेद 15 भेदभाव से संरक्षण प्रदान करता है अर्थात परिवार के किसी भी सदस्य अर्थात देश के नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, और मानवता भी यहीं कहता है कि हमें किसी भी जीव को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए परन्तु जब परिवार के किसी सदस्य के इस मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, समान रुप से जीवन जीने के अवसर क समानता को प्रभावित किया जाता है और पति-पत्नी या परिवार के किसी भी सदस्य के व्यवहार से परेशान हो जाते हैं तब वह अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए पंचायत, समाज, कानून और न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, पारिवारिक मामलों के त्वरित समाधान के लिए स्थापित परिवार न्यायालय के द्वारा गुहार सूनी जाती है।

जहां परिवार न्यायालय के द्वारा उनके आपसी मतभेदों, समस्याओं को सूनकर नीतिगत तरिके से समाधान तक पहुंचकर दोनों के आपसी मतभेदों को मिटाने का प्रयास किया जाता हैं सही दिशानिर्देश कर सूलह समझौता के द्वारा उन्हें पुनः खुशी-खुशी साथ रहने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसमें बहुत से परिवार विवादों के समाधान के पश्चात खुशी-खुशी साथ रहने लगते हैं। इस लेख में परिवार की उत्पत्ति का उद्देश्य, विघटन के कारण तथा पति-पत्नी के रिश्तों को टुटने से बचाने के लिए किए जा रहे सामाजिक, कानूनी एवं संवैधानिक उपायों की संक्षिप्त चर्चा की गई है।

संस्कृति में पति-पत्नी और परिवार का महत्व -

विश्व के किसी भी देश की किसी भी संस्कृति में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवार के द्वारा दो या दो अधिक पारिवारिक सदस्य एक-दूसरे का भावनात्मक, व्यवहारिक तथा अनिवार्य सहयोग प्राप्त करते हैं जैसे सहभागी अवलोकन के द्वारा जन्म से अभी तक देखा गया है कि भारतीय संस्कृति में पति-पत्नी को एक दुसरे का आधा आधा अंग माना जाता है जिसमें पति-पत्नी एक होकर पूर्ण होते हैं और दोनों एक-दूसरे का जीवनसाथी कहे जाते हैं। वे एक साथ यदि एक विचार के साथ चलें तो दुनिया के किसी भी समस्या से लड़ सकते हैं और अपना पूरा भरा-पूरा को खुशहाल बना सकते हैं। वे एक-दूसरे का हरसंभव सहयोग करते हैं जिसके कारण सात वचनों के बन्धन के बाद विवाह रुपि बंधन में बंधते हैं, और दुनिया की अगली पीढ़ी को जन्म देने के लिए तैयार होते हैं और प्राथमिक शिक्षा देकर देश और दुनिया की भावी पीढ़ी को तैयार करते हैं यही भारतीय संस्कृति में पति-पत्नी और परिवार का महत्व है।

आदर्श परिवार :-

उस परिवार को आदर्श परिवार कहते हैं जिसके सभी सदस्य एक-दूसरे का भरपूर ध्यान रखते हैं व एक-दूसरे की प्रगति के साथ-साथ परिवार की प्रगति में सहयोग करते हैं, माता-पिता, सास-ससुर, पति-पत्नी, बच्चे सभी मिलजुलकर परिवार के सभी उम्र के व्यक्तियों का ध्यान रखते हुए, आदर व सम्मानजनक भाव से सम्मानजनक सम्बोधन करते हुए खुशी-खुशी बातचीत करते हैं बीच-बीच में हंसी-मजाक का माहौल बनाएं हुए प्रगति करते हुए खुश रहते हैं।

पारिवारिक विघटन से तात्पर्य - पारिवारिक विघटन एक ऐसी स्थिति है जो मानव समाज के सुख-शांति को प्रभावित करता है, यह समस्या परिवारों को प्रभावित करने के साथ-साथ, परिवार, समाज और देश के विकास को भी प्रभावित करती है क्योंकि जिन देश

के जिन नागरिकों की श्रमशक्ति का उपयोग देश के आर्थिक विकास में लगना चाहिए, वह श्रमशक्ति विवादों के समाधान में समय और धन खर्च करते हैं। परिवार में पारिवारिक सदस्यों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ प्राकृतिक रुप से परिवार का विस्तार स्वाभाविक है जिसमें पैतृक सम्पत्ति का उनके संतानों को हस्तांतरित किया जाता है या प्राकृतिक रुप से किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति में उनके वास्तविक परिवार के सभी सदस्यों जिसमें सभी जैविक संतान एवं गोद लिए गए संतान तथा पति-पत्नी का प्राकृतिक अधिकार होता है परन्तु पारिवारिक मतभेद, पारिवारिक विघटन का रुप तब ले लेता है जब परिवार का यह विस्तार विवादित रुप से होता है, परिवार के सदस्यों के बीच आपस में सुलझाया नहीं जा सकने वाले किसी विषय पर विवाद, झगड़ा - लडाई या मतभेद के कारण परिवार में बिखराव आता है, तब परिवार के प्राकृतिक विस्तार के स्थान पर विवादित विस्तार या कृत्रिम विस्तार होने लगता है, जबकि बहुत छोटे-छोटे मतभेद जो आपस में सूलझा लिए जाते हैं या घर में जगह की कमी आदि के कारण परिवार के सदस्य सहयोगात्मक रुप से अलग-अलग रहने लगते हैं या अलग-अलग स्थानों में घर होने के कारण परिवार के सदस्यों में या भाई भाई अलग-अलग जगह रहने के कारण परिवार का प्राकृतिक विस्तार हो जाता है।.

प्राकृतिक विस्तार की स्थिति में परिवार के सदस्यों के बीच की संबंध में मधुरता बनी रहती है वे एक-दूसरे का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग करते रहते हैं, भले ही उनका भोजन व्यवस्था अलग-अलग होता है, जिसे चुल्हा का अलग-अलग होना कहते हैं लेकिन उनकी भावनात्मक एकता बनी रहती है, जबकि परिवार के विवादित विस्तार की स्थिति में परिवार के सदस्यों में भावनात्मक एकता खतम हो जाती है वे एक-दूसरे का किसी भी स्थिति में सहयोग नहीं करना चाहते, और परिवार के सदस्यों की मानसिकता में असहयोगात्मक भावना तक पहुंच जाने की स्थिति ही पारिवारिक विघटन का कारण बनता है और इस विघटन के अनेक कार्य - कारक संबंध होते हैं।

परिवार नामक संस्था का उद्देश्य -

परिवार, समाज की एक मूलभूत इकाई है, प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ साथ परिवारों के शांतिपूर्वक विकास के लिए, परिवारों के सभी सदस्यों का भावनात्मक रुप से स्वस्थ्य बना रहना या परिवार के सदस्यों में एकता के भावना का होना, उतना ही आवश्यक है जितना हमें जीवित रहने के लिए सांस लेना आवश्यक है। दार्शनिक रुप से परिवार का एक दुसरा अर्थ "अनिवार्य रुप से सहयोग की भावना" है जहां सहयोग की भावना है वहीं परिवार है, जैसे उदाहरण के लिए सामने अपना बेटा और पड़ोसी का बेटा एक साथ खेल रहे हैं और यदि माता या पिता को पीने के लिए एक गिलास पानी मंगाना हो तो अपने बच्चे को बोलेंगे कि "बेटा एक गिलास पानी लाना" लेकिन पड़ोसी के बच्चे को नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अपने बच्चे से अनिवार्य सहयोग की अपेक्षा है जो कि पड़ोसी के बच्चे से नहीं है। इसीलिए यदि अपना बच्चा पानी नहीं लाएगा तो माता-पिता या पिता उसे डांट सकते हैं परन्तु पड़ोसी के बच्चे को नहीं डांट सकते, क्योंकि पड़ोसी के बच्चे से अनिवार्य सहयोग की अपेक्षा नहीं है, पड़ोसी का बच्चा यदि पानी लाया तो भी ठीक है नहीं लाया तो भी ठीक है, परंतु अपने बच्चे को बोल सकते हैं। यहि सहयोग की अनिवार्य अपेक्षा पारिवारिक सदस्यों से होती है।

परिवार की स्वत: उत्पत्ति :-

मानव उद्विकास के क्रम में जब आदिमानव अपने द्वारा पैदा किए गए संतान को सदैव अपने पास रखते थे और एक समूह में एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण करते रहते थे और वह बच्चा भी पोषण प्राप्त करते हुए उस व्यक्तियों के पास रहता है जो उन्हें इस दुनिया में लाए हैं अर्थात पैदा किए हैं या पालन-पोषण किए हैं जबकि उस बच्चे को प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्थात 02 से0 6 वर्ष की उम्र तक जानकारी नहीं रहता कि जिनके पास वह रहता है और पोषण व सुरक्षा प्राप्त करता है वे लोग उसे बच्चे पैदा किए हैं तथा पालन-पोषण किए हैं उस बच्चे को यह बात तो तब पता चलता है जब वह जानने समझने लायक हो जाता है , उसके बाद पता चलता है जब वह हर चीजों जानने समझने लगता है । यह प्रवृत्ति अन्य जीवों में भी होती है जैसे बंदर अपने छोटे-छोटे बच्चे को हर समय अपने शरीर से लगाएं रखते हैं और वह बच्चा भी बिल्कुल अपने माता से चिपके रहता है, इसी तरह गाय अपनी बछिया को उसके बड़े होते तक अपने आसपास रखती है बछिया के जन्म के समय उस माता गाय का व्यवहार एवं ध्यान बिल्कुल उस बछिया के सुरक्षा की ओर रहता है, तो जब जीव-जंतुओं में अपने बच्चे के प्रति प्रेम एवं लगाव की भावना रहती है तो मनुष्य में भी ऐसा होना स्वाभाविक है इसी के क्रम में परिवार नामक समूह बना, जब आदिमानव समूह में रहते हुए समूह में विचरण करते थे और मस्तिष्क के विकसित होने पर अपने और अपने समूह की सुरक्षा का

ध्यान रखने लग गए और सुरक्षा के दृष्टिकोण से संसार का पहला घर बनना शुरु हुआ जब प्रागैतिहासिक काल में जमीन के किसी गड्ढे में रहकर अपनी सुरक्षा करते थे धीरे-धीरे घर बनाने की समझ विकसित हुई और वे चार लकड़ियों, पेड़ों की छाल एवं पत्तीयों से बने हुए चारों तरफ से घिरा हुआ घर में रहने लगे और लोगों के एक समूह ने घर का रूप ले लिया। इस तरह परिवार नामक सामाजिक इकाई का प्राकृतिक रूप से स्वत: निर्माण हुआ, तब बिना किसी उद्देश्य के साथ-साथ रहने लगे और साथ साथ रहते रहते, साथ रहने का उद्देश्य का जन्म हुआ जब वे एक दूसरे को फल, कंदमूल, पानी, औजार या अन्य उपयोग का सामान आदि देने का सहयोग करने लगे अर्थात एक-दूसरे का हाथ बंटाने लगे और पारिवारिक सदस्य नियमित रूप से एक दुसरे का सहयोग करते हुए एक साथ रहना और साथ जीना सीख गए। एक-दूसरे के सहयोग की भावना नवपाषाण काल में अधिक विकसित हुई क्योंकि नवपाषाण काल में पशुपालन एवं कृषि का आविष्कार हुआ तब परिवार की महिला, पुरुष तथा बच्चे पशुपालन तथा कृषि कार्यों में हाथ बंटाने लगे, और कुछ बच्चे घर में छोटे बच्चों के ध्यान रखने का काम करते थे। इस तरह परिवार में यह सहयोग की भावना प्रागैतिहासिक काल के आदिमानव से लेकर आज उत्तर आधुनिक संचार क्रांति के समय तक दिखाई देता है।

अंतर सिर्फ तकनीकी का है पाषाणकाल या प्राचीन काल तक जंगलों के कंदमूल संग्रहण, या जंगलों से लकड़ी लाने या भोजन एकत्रित करने में सहयोग करते थे और एक-दूसरे के साथ रहते थे, जैसे आज भी बहुत जीव-जंतु एक समूह में रहते हुए देखे जाते हैं, जैसे चिड़ियों के समूह जब आसमान में उड़ता है तो एक मुखिया चिड़िया सबसे सामने उड़ता है और अन्य चिड़िया उसका अनुसरण करते हुए पीछे पीछे उड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, तो समूह में रहने की प्रवृत्ति जीवों में सामान्य: पाई जाती है। मनुष्य में मस्तिष्क क्षमता अधिक होने कारण पारिवारिक सदस्यों में साथ रहने की प्रवृत्ति ने परिवार का रूप ले लिया। आज उत्तर आधुनिक संचार क्रांति के समय में भी बड़े बड़े पदों पर सेवा देते हुए परिवार साथ रहते हैं और एक-दूसरे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक रूप से प्रगति में सहयोग करते हैं सहयोग की भावना के उद्देश्य से निर्मित परिवार नामक सामाजिक इकाई के सदस्यों में जब किसी बात पर आपसी मतभेद हो जाता है जिससे वे साथ नहीं रह पाते और एक दुसरे के सहयोग का लाभ नहीं ले पाते, जैसे बहुत से पुरुष या महिला दुनिया में अकेले रहने के कारण उन्हें वास्तविक परिवार के सदस्यों से मिलने वाला सहयोग नहीं मिल पाता, उन्हें अपने जीवन की सभी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं के मेहनत से एकत्रित करना पड़ता है।

परिवार की परिभाषा -

संक्षिप्त परिवार की परिभाषा यह हो सकती है कि "प्रत्येक प्रकार के सहयोग की भावना से ओत-प्रोत ऐसे लोगों का समूह जो एक दूसरे के जीवन का हर समय खयाल रखते हैं, इस समूह को परिवार कहते हैं।”

या

"भावनात्मक रूप से जुड़े हुए रक्त संबंधी तथा विवाह संबंधियों का एक ऐसा समूह जो मानव समुदाय की सबसे मौलिक इकाई होती है और अपने सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सहयोग के लिए स्वत: उत्तरदायी रहते हुए पितृत्व, मातृत्व, प्रजनन, आर्थिक, अनुकूल सामाजिकरण तथा संस्कृतिकरण की प्राथमिक शिक्षा आदि का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण का कार्य करते हुए पारिवारिक सौहार्द और समरसता बनाएं रखते हैं जिसे परिवार कहते हैं।"

वास्तविक परिवार तथा आभासी परिवार की अवधारणा :-

परिजनों के आधार पर परिवार के प्रकार -

1. वास्तविक परिवार
2. आभासी परिवार

वास्तविक परिवार:-

विवाह के द्वारा जुड़े पति-पत्नी तथा उनके संतान एक मूल परिवार है जिसके सभी सदस्य रक्त संबंधी या विवाह संबंधी होते हैं एवं वास्तविक परिवार के सदस्यों में पैतृक सम्पत्ति संबंधी अधिकार होते हैं इसे वास्तविक परिवार कह सकते हैं।

आभासी परिवार :-

आभासी परिवार वे हैं जो रक्त संबंधी या विवाह संबंधी नहीं है तथा किसी संपत्ति का अधिकार नहीं होता फिर भी वे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं परिवार के सदस्यों के समान ही एक-दूसरे का ध्यान रखते हैं सहयोग करते हैं। इसे आभासी परिवार या मानवतापूर्ण परिवार भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्ग एक-दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं और अपने समूह

को ही एक परिवार मानते हैं, ऐसे ही अनाथालय में रहने वाले बहुत से बच्चे एक-दूसरे को परिवार के सदस्यों के समान व्यवहार करते हुए एक-दूसरे का सहयोग करते हैं, एक प्रसिद्ध धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोकुलधाम सोसायटी में रहने वाले सभी सदस्य अपने सोसायटी को एक परिवार मानते हैं। यह एक आभासी परिवार है जिसके बहुत से परिवार एक दूसरे का हर संभव मदद करते हैं और बिल्कुल एक परिवार की तरह महसूस करते हैं। इसी तरह मानव समाज में हमारे आसपास के बहुत से परिवार आपस में बिल्कुल एक परिवार की तरह जुड़े होते हैं। इसे मानवतापूर्ण परिवार भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां कोई भी वास्तविक परिवार के सदस्य नहीं हैं फिर भी मानवता के नाते एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, समय समय पर बिना किसी स्वार्थ के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सहयोग करते हैं।

वास्तविक परिवार का निर्माण या जन्म:-

एक वास्तविक परिवार का जन्म विवाह से होता है, जब पति-पत्नी विवाह के द्वारा एक दूसरे की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामाजिक या कानूनी रुप से वैध घोषित किए जाते हैं और उनसे उत्पन्न संतान माता-पिता से जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति प्राप्त करना तथा जैविक माता-पिता की सम्पत्ति में अधिकार रखने के साथ-साथ एक परिवार के रूप में एक-दूसरे के सहयोग के पहले कर्तव्यों का अनुसरण एवं अनुकरण करना होता है। पति-पत्नी को एक-दुसरे का जैविक सहयोग, सामाजिक समरसता, सम्मान, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सहयोग आदि करना होता है। उसी तरह नवजात संतान को माता पिता के द्वारा पोषण एवं सुरक्षा का सहयोग प्राप्त करना आदि के द्वारा पति-पत्नी और संतान के बीच भावनात्मक जुड़ाव के द्वारा परिवार नामक संस्था का जन्म हुआ।

परिवार का प्राकृतिक तथा कृत्रिम विस्तार :-

परिवार का प्राकृतिक विस्तार :-

पति-पत्नी तथा उनके संतान जो विवाह संबंधी तथा रक्त संबंधी हैं प्राकृतिक रुप से एक साथ समूह में रहने लगे, जिससे केन्द्रीय या मूल परिवार से ही संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार का जन्म हुआ। और एक-दूसरे का सामाजिक सांस्कृतिक व आर्थिक तथा भावनात्मक सहयोग करते हुए प्राकृतिक रुप से परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती जाती है और स्वाभाविक रुप से एक परिवार से अनेक परिवार बनने लगते हैं जिसे परिवार का प्राकृतिक विस्तार कह सकते हैं।

परिवार का कृत्रिम विस्तार:-

कालांतर में वे परिवार में सदस्यों की संख्या हो जाने के कारण परिवार के कुछ सदस्यों में किसी छोटे-छोटे बातों पर आपसी मतभेद या मनमुटाव हो जाता है, जिसे संयुक्त परिवार के एक जागरुक मुखिया के नियंत्रण में सुलझाकर शांत कर लिया जाता है जिसके कारण बहुत समय तक संयुक्त परिवार सुरक्षित रहा परन्तु आत्मनिर्भरता में वृद्धि, शिक्षा में वृद्धि, परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण वे मजबूत मुखिया के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और वे अलग-अलग रहना उचित मानते हैं जिसे परिवार के भाइयों में बंटवारा नामक तत्व का प्रवेश हुआ, और इस बंटवारा के द्वारा परिवारों का कृत्रिम विस्तार होता है।

पारिवारिक विवाद में सूलह समझौता की आवश्यकता:

पारिवारिक विवादों में सूलह समझौता की आवश्यकता ज्यादा पति-पत्नी के विवाद में होता है क्योंकि अभी तक पति- पत्नी एक-दूसरे के साथ जीवन के हर समस्याओं को सुलझाते हुए आगे बढ़ते रहें, समय का क्रम चलता रहा और परिवार के दो लोगों में किसी बात से मतभेद हो गया। मतभेद के साथ भी कुछ समय साथ रहे, क्योंकि आर्थिक, पोषण एवं सुरक्षा की आवश्यकता के कारण मतभेदों के साथ साथ एक साथ रहना भी जरुरी था। इस मतभेद ने महत्वाकांक्षा को जन्म दिया, अब परिवार का एक सदस्य अपना अलग घर परिवार बसा लेना चाहता है। संतान के युवावस्था होने एवं विवाह योग्य होने पर विवाह कर दिया गया। परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और बर्तन ज्यादा होने से बर्तनों में टकराव होने लगा और बर्तनों से आवाज आने लगी, जिससे एक परिवार चार परिवार हो गए। यह प्राकृतिक रुप से तब सही था तब परिवार का विस्तार हो रहा था परन्तु उस स्थिति में अनैतिक हो जाता है जब पति-पत्नी युवा हैं और उन्हें शारीरिक, आर्थिक व सुरक्षात्मक सहयोग की आवश्यकता है उस स्थिति में किसी बात पर मतभेद हो जाए और अलग-अलग रहने लग जाएं। तब बात पंचायत, समाज कानून या न्यायालय तक पहूंचता है और दोनों को आपसी सुलह समझौता के द्वारा एक करने की कोशिश की जाती है।

कुटूम्ब न्यायालय का कर्तव्य :-

समय के साथ-साथ बढ़ते हुए पारिवारिक विवादों के त्वरित समाधान हेतु माननीय कुटूम्ब न्यायालय की स्थापना की गई है जिसके द्वारा पति-पत्नी में सूलह समझौता की कार्रवाही के द्वारा

पति-पत्नी के रिश्ते को टुटने से बचाने का भरपूर प्रयास किया जाता है। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984, 14 सितंबर 1984 को लागू किया गया। विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान करते है पारिवारिक विवादों जैसे विवाह विच्छेद, गुजारा भत्ता आदि का त्वरित और सुलहपूर्ण निपटारा करने के लिए विशेष कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना किया गया है।

पारिवारिक विघटन के विभिन्न स्त्रोत होते हैं जिसमें प्रमुख रुप निम्न मतभेद देखे जाते हैं -

पति	-	पत्नी मतभेद से विवाद
सास	-	बहू मतभेद से विवाद
ससूर	-	बहू मतभेद से विवाद
पिता	-	पूत्र मतभेद से विवाद
भाई	-	भाई मतभेद से विवाद
ननद	-	भाभी मतभेद से विवाद
पिता	-	पूत्री मतभेद से विवाद
माता	-	पुत्र मतभेद से विवाद

परिवार सामुहिक मतभेद से विवाद

इसमें आज के दौर में पति-पत्नी, सास - बहू, ननद - भाभी एवं भाई - भाई के बीच विवाद सबसे अधिक देखे जाते हैं, पति-पत्नी दो अलग-अलग पृष्ठभूमि एवं अलग-अलग विचारधारा से जुडकर विवाह के द्वारा एक एक होते हैं जिसमें बहुत से पति-पत्नी हर परिस्थिति में एक-दूसरे का सहयोग करते हुए सदैव अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि को बनाएं रखते हैं परन्तु कुछ दम्पतियों में किसी छोटे-छोटे विषय पर मतभेद हो जाता है, जिसे आपस में सुलझाया भी जा सकता है परन्तु क्रोध की स्थिति में होने के कारण वे दोनों समस्या के मूल कारण को समझ नहीं पाते और मतभेद धीरे-धीरे विवाद का रुप ले लेता है, जबकि यदि अपने विवाद के मूल कारण को समझ के उस कारण को अपने रिश्तों के बीच नहीं लाने का पहल किया जाए तो स्वत: बात वहीं पर समाप्त हो सकती है परन्तु जब यह विवाद उनके आपस में बातचीत की सीमा से बाहर हो जाता है तब वे अलग-अलग रहने लगते हैं, आपस में बातचीत नहीं करना चाहते, तब पारिवारिक विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है।

पति-पत्नी के रिश्ते में बिखराव के प्रमुख कारण :-

पति-पत्नी के रिश्ते टुटने के सबसे प्रमुख कारणों में देखे जाते हैं -

01. दोनों या दोनों में से किसी एक के हृदय में अपने पति या पत्नी के प्रति सम्मान, जिम्मेदारी और प्रेम की कमी हो जाना। जो कभी विवाह के पहले से ही रहता है या कभी कभी विवाह के बहुत बाद एक-दूसरे के किसी अनुचित व्यवहार से भी शुरु होता है।

02. पति-पत्नी के पारिवारिक या पर्सनल जीवन में किसी भी तीसरे व्यक्ति का बहुत ज्यादा दखलअंदाजी।

03. आर्थिक तंगी और धन की कमी भी पारिवारिक विघटन के कारण बनते हैं जिसके वे अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को पूरी नहीं कर पाते या वर्तमान समय के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते और मतभेद की स्थिति आ जाती है।

04. एक-दूसरे को पसंद नहीं करना और एक दूसरे से बातचीत नहीं करना।

05. एक-दूसरे के प्रति विश्वास में कमी होना, परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास की कमी।

06. एक-दूसरे के प्रति सम्मानजनक भावना एवं जिम्मेदारी की भावना की कमी।

07. मादक द्रव्य व्यसन, नशा, शराब आदि के कारण बहुत रिश्ते टूट रहे हैं।

08. कुंठीत व संकुचित मानसिकता।

09. गलत व्यवहार एवं जागरुकता की कमी।

10. अपने रिश्ते के प्रति समर्पण की भावना की कमी।

11. एक-दूसरे को समय नहीं देना और मोबाइल में अधिक समय तक व्यस्त रहने आदि से भी रिश्ते कमजोर हो रहे हैं।

12. अपने योग्यतानुसार पति या पत्नी का ना मिलना जिससे एक दूसरे के साथ विचार का ना मिलना।

13. पति या पत्नी में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार दैनिक व्यवहार ना करना।

पारिवारिक विवादों का प्रकरणीकरण :-

पारिवारिक विवादों का प्रकरण दर्ज कराने या नहीं कराने के आधार पर दो प्रकार के पति या पत्नी होते हैं -

1. प्रकरण दर्ज कराने वाले दम्पत्ति :-

जो विवाद समाधान हेतु पंचायत, समाज, न्यायालय के शरण में जाते हैं और अपने विवादों का किसी भी तरह से समाधान करना चाहते हैं।

2. प्रकरण दर्ज नहीं कराने वाले दम्पत्ति:-

जो दम्पत्ति अपने परिवार या स्वयं का सम्मान बनाएं रखने या भविष्य में विवाद की स्थिति में सुधार आ जाने की उम्मीद, लोकलाज, गरीबी आदि किसी भी कारण से कभी पंचायत, समाज या न्यायालय के शरण में नहीं जाते और जीवनभर पति या पत्नी से अलग रहकर ही जीवनयापन करने का निर्णय ले लेते हैं।

जब पति-पत्नी में से कोई एक अपनी समस्या को लेकर न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराते हैं जिसमें उनके पास दो विकल्प होते हैं कि या तो वे पुन: साथ रहना चाहते हैं या साथ नहीं रहना चाहते हैं। इस स्थिति में वे विवाह पुनर्स्थापना, भरण-पोषण या विवाह विच्छेद हेतु प्रकरण दर्ज कराते हैं।

पति-पत्नी के आपसी मतभेदों को मिटाने एवं आपसी सुलह के उपाय -

1. बात :- पति-पत्नी को जिस विषय पर मतभेद है उस विषय पर शांतिपूर्ण बैठकर बातचीत अवश्य करना चाहिए, बात करना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बात करने से बात बनती है, अक्सर देखा जाता है पति-पत्नी में किसी बात पर झगड़ा आदि हो जाने पर वे बात करना बंद कर देते हैं और अलग-अलग रहने लगते हैं यहां तक कि फोन पर भी बात नहीं करते। तो बात अवश्य करना चाहिए और बात करते समय झगड़ा नहीं करना चाहिए बल्कि बात को उलझाने के बजाय सुलझाने की कोशिश करना चाहिए।

2. विश्वास :- विश्वास ही किसी भी रिश्ते की मजबूती है, पति-पत्नी को एक-दूसरे पर सदैव विश्वास रखना चाहिए, और अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार होते हुए कभी भी विश्वास तोड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि पति-पत्नी का रिश्ता प्रेम एवं विश्वास का रिश्ता है यदि विश्वास नहीं है तो सत्य दिखाई ही नहीं देता और अपने ही बात में और गलत को दिमाग में पालकर रखे रहते हैं जिससे रिश्ता कमजोर होता है इसलिए एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाएं रखना चाहिए।

3. समय :- पति-पत्नी एक रिश्ता होने के साथ-साथ एक अच्छा मित्र भी होते हैं, इसलिए सदैव एक दूसरे को समय देना चाहिए, दिनभर अपने अपने काम में व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे को समय नहीं दे पाते जिसके कारण कभी कभी भावनात्मक दुरियां आ जाती है। और एक-दूसरे की कुछ आवश्यकता को नहीं समझ पाते जिससे रिश्ता कमजोर होता है इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि प्रतिदिन मोबाइल और हर काम को छोड़कर पति-पत्नी एक-दूसरे को कम से कम एक दो घण्टे अवश्य देना चाहिए जिसमें एक साथ बैठकर बातें करें, कहीं घुमने निकल जाएं। इस तरह भावनात्मक नजदीकी बनी रहती है।

4. दैनिक समस्याएं :- दैनिक जीवन में प्रतिदिन परिवार के सभी सदस्यों या पति-पत्नी में किसी एक को ही अवश्य कोई ना कोई समस्या रहती है चाहें अपने शारीरिक समस्या हो, या स्कूल कालेज पढ़ाई-लिखाई, व्यवसाय, आफिस की कोई बात आदि इन दैनिक समस्याओं को एक-दुसरे से साझा अवश्य अवश्य करना चाहिए यदि साझा करने योग्य है तो। और सामने वाले को भी उस समस्या के जड़ को शांतिपूर्वक पूरी बात सूनकर समझने के बाद हल निकालने का सोचना चाहिए। इस तरह आज की समस्या को कल के लिए मत रखिए, आज ही हल कीजिए और उसके बाद परिवार के साथ खुश रहिए।

5. बात काटना :- एक-दूसरे के बातों को बिना काटे सूनना चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है कि सामने वाले की बात को पूरा सूनते ही नहीं है और बीच में बात को काटकर अपनी बात कहने लगते हैं, इससे सामने वाला या वाली अपनी पूरी बात रख नहीं बात और बात सुलझने के बजाय उलझ जाता है इसलिए पहले पूरी बात सूनना चाहिए।

6. गलतफहमियां :- एक दूसरे के बीच गलतफहमियों को स्थान नहीं देना चाहिए, पति-पत्नी, या पिता पूत्र आदि किसी भी रिश्ते नातेदारों के बीच कभी भी किसी गलतफहमियों को स्थान नहीं देना चाहिए, बल्कि जो भी गलतफहमी है उस पर बात करके दिमाग से उस बात को निकाल देना चाहिए, पर अपने रिश्ते को किसी भी स्थिति में खराब या कमजोर नहीं करना चाहिए, भले ही किसी गलती के लिए सॉरी बोलना पड़े, क्षमा मांगना पड़े तो मांग लीजिए, सॉरी बोल लीजिए, और खुद भी माफ कर दीजिए, पर अपने रिश्ते को सुरक्षित रखें, क्योंकि माफ करने वाला बड़ा होता है।

7. आवश्यकताओं की समझ :- परिवार में सदैव सभी सदस्यों के भावनाओं तथा आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, ताकि समय समय अपनों को किसी कमी का अहसास नहीं होना चाहिए, और परमात्मा से जितना मिला है उतने में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि स्वामि विवेकानंद ने कहां कि "तृष्णा ही दुखों का

कारण है।" इसलिए जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त मानकर खुश रहते हुए प्रगति करते रहें। पति-पत्नी को भी सदैव एक दूसरे के आवश्यकता का ध्यान रखना चाहिए, और अपनी आर्थिक स्थिति व बजट को ध्यान रखते हुए उचित आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते रहना चाहिए।

8. सम्मान :- "बहुत से पति-पत्नी जब परामर्श केन्द्र में आते हैं तो पत्नी का कहना होता है कि मेरे पति शराब बहुत ज्यादा पीते हैं और नशे के हालत में अनाप-शनाप गालिगलौज करते हैं मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं" तो ऐसी स्थिति में कोई भी साथ नहीं रहना चाहेगा क्योंकि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का मौलिक अधिकार है। इसी तरह बहुत से पति का शिकायत होता है कि मेरी धर्मपत्नी मेरा और अपने ससुराल वालों का सम्मान नहीं करती, किसी का बात नहीं सूनती और इसी बात पर हमारे बीच मतभेद रहता है तो ये बात सत्य है कि सम्मान देने से सम्मान मिलता है इसलिए पति-पत्नी दोनों के लिए लागू होता है कि दोनों अपने सास-ससुर को माता-पिता के समान ही सम्मान दे, एक दुसरे के परिवार को अपना परिवार समझ जिम्मेदारी निभाते रहें, यही बात सास-ससुर के लिए भी लागू होता है कि वे भी बहुओं को बेटी के समान और दामाद को बेटा समान मानें और सम्मान करें।

9. एक लक्ष्य :- पति-पत्नी अपने परिवार की आर्थिक को ध्यान में यदि दोनों शिक्षित हैं तो दोनों को अपने अपने शिक्षा के अनुसार मिलकर कुछ काम करके एक-दूसरे का हाथ बंटाना चाहिए। एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, और अपने बच्चों को सही शिक्षा व्यवस्था करके अच्छे संस्कार देकर बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए।

10. खुशी :- कभी कभी एक होटल, मंदिर, रेस्टोरेंट, पिक्चर, पिकनिक, गार्डन, पर्यटन स्थलों आदि का भ्रमण भी अवश्य करना चाहिए, इससे एक दूसरे को समय देने का अवसर बनता है और आपस में प्रेम बना रहता है।

उपसंहार :- विश्व की प्रत्येक संस्कृति में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिशु को जन्म से माता के द्वारा पोषण तथा पिता के द्वारा सुरक्षा और आसपास के सभी सदस्यों के द्वारा संस्कृति प्राप्त होती है। मानव समुदाय एक या दो व्यक्ति से नहीं बनता बल्कि एक एक परिवार मिलकर समाज और समुदाय बनता है इसलिए परिवार को मानव समुदाय की इकाई कहते हैं जैसे एक एक ईंट मिलकर दिवाल बनता है और परिवार में एक व्यक्ति दुसरे से जिस मजबूत धागे से जुड़े होते हैं उस धागे को रिश्ता कहते हैं जिससे हर रिश्ते का अपना-अपना महत्व है और यदि जिस रिश्ते का जैसा महत्व है वैसे ही निभातें रहें तो रिश्तों की डोर कभी नहीं टूटता, लेकिन जब रिश्ते में अपना और पराया का भाव आ जाता है रिश्तों के बीच में जब हम की भावना के स्थान पर मैं की भावना, पैसा और सम्पत्ति आ जाती है जब एक रिश्ता दुसरे रिश्ते का महत्व भूल जाता है तब रिश्ते की उम्र कम होने लगती है परन्तु पति-पत्नी द्वारा स्वयं, समाज, पंचायत या न्यायालय के द्वारा सही समय पर सही निर्णय लेने से परिवार सुरक्षित रहता है और परिवार का आदर्श रुप को बनाएं हुए प्रगति करते हुए खुश रहते हैं।

मौलिक रचना -

उमराव सिंह वर्मा, मानवविज्ञानी, परिवार परामर्शदाता, लेखक

6263219281

संविधान निर्माण में छत्तीसगढ़ का योगदान”

गजेन्द्र कुमार साहू

भारत के विकास, उन्नति और प्रगति में छत्तीसगढ़ का योगदान सदैव उल्लेखित रहा है। खनिज संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य, कृषि, वन एवं अन्य क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ की भागीदारी प्रबल रही है। यह क्रम इतिहास से चला आ रहा है। छत्तीसगढ़ का इतिहास इतना भी पुराना है जितना भारतवर्ष का। चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हो, आदिवासी या किसान आंदोलन हो या फिर भारत के संविधान निर्माण में योगदान देने की बात हो। छत्तीसगढ़ ने राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सदैव स्वीकार किया है।

संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ का योगदान भारतीय संवैधानिक इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय है। यद्यपि 1946 में गठित संविधान सभा में छत्तीसगढ़ एक पृथक राज्य नहीं था और मध्य प्रांत तथा बरार (Central Provinces and Berar) का हिस्सा था, फिर भी इस भूमि ने अनेक ऐसे प्रतिनिधि दिए जिन्होंने अपने विचारों, दृष्टिकोण और कार्य के माध्यम से स्वतंत्र भारत के संविधान को लोकहितकारी और सर्वसमावेशी स्वरुप प्रदान किया। इस विषय पर यह विस्तृत शोध आलेख प्रस्तुत है। प्रस्तावना संविधान निर्मात्री सभा का गठन वर्ष 1946 में ब्रिटिश भारत की संयुक्त प्रांतीय विधानसभाओं के चुनावों के आधार पर किया गया। इसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत के लिए ऐसा संविधान बनाना था जो लोकतांत्रिक आदर्शों और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हो। छत्तीसगढ़ भौगोलिक रूप से मध्य प्रांत (सी.पी.) के अंतर्गत था, परंतु इसके कई जनप्रतिनिधियों ने देश की इस ऐतिहासिक संस्था में अपनी सहभागिता से क्षेत्र की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। जिसने भारत के विकास की माइक रखी और सशक्त भारत के निर्माण में सहायक रहे।

छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि भारतीय संविधान सभा में छत्तीसगढ़ के जिन प्रमुख सदस्यों ने योगदान दिया उनका ससम्मान नाम और योगदान उल्लिखित करना गर्व से भर देने जैसा गई। सुनने से सर्वप्रथम प्रमुख विभूतियों की भूमिका में पंडित रविशंकर शुक्ल जो कि रायपुर निवासी थे। रविशंकर शुक्ल संविधान सभा में एक प्रखर वक्ता और प्रशासनिक दृष्टि से कुशल सदस्य रहे। उन्होंने राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरुप का समर्थन करते हुए प्रांतों के अधिकारों की रक्षा पर बल दिया। वे संविधान में शिक्षा और ग्रामीण विकास को मौलिक नीति सिद्धांतों के रूप में स्थापित करने के पक्षधर थे। वे महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ-साथ विद्वत् शिक्षाविद् भी थे।

बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी ने संविधान सभा में बिलासपुर की पावन भूमि का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा को सर्वोपरि माना। वे भारतीय न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक ढाँचे से मुक्त करने के पक्षधर थे। संविधान सभा में उन्होंने नागरिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और विधिक समानता पर प्रभावशाली वक्तव्य दिया। वे न्यायायिक शक्ति के पक्षधर थे।

डॉ. घनश्याम सिंह गुप्त जी दुर्ग जनपद से थे। गुप्त जी संविधान सभा में हिन्दी अनुवाद समिति के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने संविधान की हिन्दी प्रति तैयार कर 24 जनवरी 1950 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सौंपी। उनके प्रयासों से हिन्दी को संविधान की राजभाषाओं में स्थान मिला। सामाजिक कार्यों में भी उनका योगदान उल्लेखनीय था। हिंदी भाषा के प्रति उनका समर्पण और सम्मान सदैव बना रहा।

पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी रायगढ़ के इस युवा नेता ने संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य के रूप में भाग लिया। गांधीजी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को उन्होंने संवैधानिक ढाँचे में स्थान दिलाया और पंचायती राज प्रणाली का समर्थन किया। उन्होंने बालश्रम निषेध, महिला शिक्षा और ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए मजबूत अनुच्छेदों की वकालत की। ग्राम्य जीवन को आर्थिक आधार पर मजबूत करने पर उन्होंने बल दिया।

रामप्रसाद पोटाई कांकेर जिले के कन्हारपुरी के निवासी थे। श्री पोटाई जी ने रियासती समाज के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में भाग लिया। आदिवासी जनभावनाओं और जनआक्षाओं की आवाज उठाई। वे अनुसूचित जाति-जनजाति के अधिकारों, वन संसाधनों की सुरक्षा और श्रमिक कल्याण से जुड़े प्रावधानों के प्रबल समर्थक थे। वे इंग्लैंड से शिक्षित और श्रम कानून के जानकार थे। उन्होंने आदिवासियों के सामाजिक न्याय, सुरक्षा और अधिकारों की पैरवी की।

गुरु अगमदास ने दलित समाज और सतनामी समुदाय की समान अधिकार की मांग को संविधान में प्रतिनिधित्व दिलाने का कार्य किया। उन्होंने सतनामी समाज की सामाजिक समरसता, एकता और उनके उत्थान के प्रावधानों का समर्थन किया।

रायगढ़ के रघुराज सिंह देव ने रियासतों के एकीकरण से संबंधित बैठकों में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने भारत संघ और देशी रियासतों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय पर प्रबलता से अपनी बात रखी। उन्होंने देशी रियासतों के अधिकारों, विचारों और नीतियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया।

संविधान में छत्तीसगढ़ का प्रतिबिंब छत्तीसगढ़ी प्रतिनिधियों के विचार, सिद्धांत संविधान के विभिन्न प्रावधानों में झलकते हैं। जैसे अनुसूचित जाति और जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा (अनुच्छेद 46), पंचायती राज और ग्राम स्वराज (अनुच्छेद 243), औद्योगिक और श्रम न्याय संबंधी नीति निर्देश (अनुच्छेद 38 और 39), राजभाषा के रूप में हिन्दी का स्थान (आर्टिकल 343)। इन प्रावधानों में क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है।

संविधान सभा में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों की राह आसान भी नहीं थी। सीमाएँ और चुनौतियाँ भी संविधान सभा के सदस्यों के लिए परिलक्षित रही। छत्तीसगढ़ की प्रतिनिधि संख्या सीमित थी, जिससे इसकी आवाज़ अपेक्षाकृत धीमी रही। क्षेत्रीय अविकास, रियासतों की अलग स्थिति और सीमित राजनीतिक एकता के कारण इसकी दृष्टि पूर्ण रुप से एकीकृत रुप में नहीं उभर सकी। फिर भी छत्तीसगढ़ी प्रतिनिधियों ने अपनी वैचारिक गहराई और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण से उल्लेखनीय पहचान बनाई।

निष्कर्ष-: संविधान सभा में छत्तीसगढ़ का योगदान भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला रहा। चाहे वह घनश्याम गुप्त द्वारा संविधान का हिन्दी रुपांतरण हो, किशोरी मोहन त्रिपाठी की पंचायती राज अवधारणा या फिर रामप्रसाद पोटाई का आदिवासी हितों के लिए संघर्ष। इन सभी ने भारत के संविधान को समावेशी, सामाजिक न्यायसंगत और समानता पर आधारित बनाने में योगदान दिया। छत्तीसगढ़ की भूमिका भारतीय संविधान के इतिहास में एक गौरवमयी पृष्ठ के रूप में सदा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगी।

नाम- गजेन्द्र कुमार साहू

पता- चौबे कॉलोनी, रायपुर

GIFT DEED - BLESSING OR CURSE?

Yog Mohanty

Every Indian family has a story about gifts. Whether it's the small box of Soan Papdi that keeps rotating every Diwali, the silver coin given to a newborn, or the saree your daughter loved wearing at her engagement, every gift is a cherished memory.

For us, gifts aren't just objects. They carry emotions, a piece of our love, a token of blessing, and sometimes, even an unspoken promise.

So when parents decide to gift their home or property to their children, it often comes from that same place of love. They want to see happiness now, not later.

But what happens when this gesture, made with affection, turns into regret? A Story that often repeats itself

Mrs. Murthy, a retired schoolteacher, lived in the house she and her husband built over 40 years. When her son got married, she decided to "gift" the home to him. She wanted him to feel settled, responsible, and secure.

The papers were signed, the house registered. But a year later, life changed. The son decided to move abroad, and Mrs. Mehta found herself living in one corner of her own house, feeling like a guest.

Her story isn't unique. Many elders, out of love, gift their property while they're alive but later realise the emotional and practical consequences of parting with their most valuable asset too soon.

What exactly is a Gift deed?

A gift deed is a legal document that allows you to transfer ownership of your property, movable or immovable, to another person without any monetary consideration. It's defined under Section 122 of the Transfer of Property Act, 1882, and once registered, it means the property legally belongs to the receiver.

It's fast, clean, and simple but also final. And that's where elders need to tread with care.

A gift deed can be a beautiful way to express love and avoid confusion.

Immediate transfer: Unlike a Will, the transfer happens instantly. You can see the joy of giving during your lifetime.

Clarity among heirs: It prevents future ownership disputes.

Tax planning: In some cases, especially with family-run businesses, it can simplify financial arrangements.

Many families have used gift deeds successfully to bring order and harmony.

The trouble begins when emotion outweighs reason.

Once registered, a gift deed is nearly irreversible.

And with ownership gone, elders lose their legal right over the property. In unfortunate cases, this has led to neglect, emotional distance, or even eviction.

For many seniors, property is more than wealth; it's their safety net. Giving it away entirely can leave them vulnerable, especially if family dynamics change.

- That's why it's important to ask:
  Will this decision secure my loved ones or leave me insecure?
- Think with heart, but decide with head
- If you're considering gifting property, here are a few wise steps:
- Consult a trusted succession planner or lawyer.
  Understand both the legal and emotional implications before you sign.
- Consider a conditional or gradual transfer.
  You can gift a share now and keep control over the rest. It offers balance and peace of mind.
- Include care and maintenance clauses.
  Specify living rights or responsibilities within the deed itself.
- Make the decision independently.
  No gift should ever come from pressure or persuasion. It should reflect the truest wish of the donor.

A recent landmark ruling of the Bombay High Court

In a recent landmark ruling by the Bombay High Court (reiterated by the Supreme Court) has clearly emphasised that when a senior citizen transfers (often by way of gift) to a child or relative, the law protects the donor's right of maintenance, especially when vulnerable in old age.

The Court observed that in cases of senior citizens gifting property, an expectation that the donee will take care of the donor (provide amenities, support, housing) can be implicitly present even if the gift deed doesn't say so. In an age where many senior citizens transfer property to children/relatives (sometimes for love, sometimes for estate-planning), this jurisprudence ensures that such transfers don't become a loophole for neglect or abandonment. The legal system under this Act backs the dignity and welfare of the elderly.

Author

Yog Mohanty

Co-Founder | MyLegacyBox

Ph. 99377 90259

yog@mylegacybox.com

Cold November Evenings: Enjoy Healthy Soups and Hot Drinks

Ms Savita More

As the month of November begins, a chill begins to settle into the air. The days grow shorter and the evenings draw in early. Hot soups and healthy drinks not only keep the body warm but also maintain health. Sitting at home on a cold evening, with the cool breeze outside, sipping a cup of soup or an herbal drink is simply delightful.

1. Vegetable Soup:

This is considered one of the easiest and most nutritious soups. Vegetables like carrots, beans, cabbage, tomatoes, and peas provide the body with vitamins and minerals. Adding a little black pepper and lemon juice makes it even more delicious.

2. Tomato Soup:

Tomato soup is a classic dish for cold evenings. The vitamin C in it boosts the body's immunity. It can be made richer by adding butter and cream, but if you're on a diet, tomato soup without cream is just as beneficial.

3. Moong Dal Soup:

This soup is rich in protein and easy to digest. Adding ginger, garlic, and lemon to boiled moong dal enhances its flavor. This soup is especially good for those who feel tired or weak in winter.

4. Herbal Tea and Ginger Tea:

Tea made with ginger, basil, and honey helps prevent colds and flu. Ginger warms the body from within, and basil protects against infection.

5. Turmeric Milk:

Drinking warm turmeric milk before bed can relax the body and promote sleep. Turmeric has antibacterial properties, which are very useful in winter.

6. Hot Chocolate:

If you're craving something sweet and tasty, hot chocolate is a great option. It boosts your mood and provides comfort in the cold.

These soups and drinks not only enhance the flavor of November evenings but also keep the body healthy and energetic. So, escape the cold winds outside this season, enjoy a hot soup with your family, and take care of your health

IMPORTANT DAYS OF NOVEMBER

Ms Swayam Siddha Dash

- **1 Nov World Vegan Day**

This day promotes the lifestyle of eating no animal products. It helps people understand how being vegan can help animals and the planet.

- **5 Nov World Tsunami Awareness Day**

This day helps remind people about the dangers of tsunamis and how to prepare for them. It encourages awareness about making our coasts safer.

- **7 Nov National Cancer Awareness Day (India)**

In India, this day focuses on the importance of early detection and prevention of cancer. It encourages people to get check-ups and know the risks.

- **10 Nov World Science Day for Peace and Development**

This international day highlights how science helps bring people together, supports peace, and helps development all around the world.

- **11 Nov National Education Day (India)**

India marks this day to honour the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad, first education minister, and to focus on the importance of education for all.

- **12 Nov World Pneumonia Day**

A health-awareness day to emphasise the fight against pneumonia, particularly among children and in poorer countries.

- **13 Nov World Kindness Day**

A simple but powerful day: people are encouraged to do acts of kindness, big or small, to show care and compassion for others.

- **14 Nov Children's Day (India)**

India celebrates this day in memory of Jawaharlal Nehru, who loved children, and uses it to focus on children's rights, education and happiness.

- **14 Nov World Diabetes Day**

This global health day raises awareness about diabetes, its increasing spread and how people can prevent or manage it.

- **16 Nov International Day for Tolerance**

A day to reflect on how being tolerant—respecting differences—helps societies live in harmony and peace.

- **19 Nov International Men's Day**

This day pays attention to men's health, their positive role in society and encourages gender equality too.

- **19 Nov World Toilet Day**

A surprising but important day: it reminds people about sanitation and hygiene, and how access to toilets is a basic right.

- **20 Nov Universal Children's Day**

A day set by the UN to promote the welfare and rights of children everywhere in the world.

- **21 Nov World Television Day**

This day highlights the role television plays in communication, information and development around the world.

- **25 Nov International Day for the Elimination of Violence against Women**

A very important human-rights day: it calls on people and governments to stop violence against women and girls everywhere.

- **26 Nov Constitution Day (India)**

India observes this day to remember the adoption of the Indian Constitution and to promote understanding of its values.

****

SFE ACTIVITIES

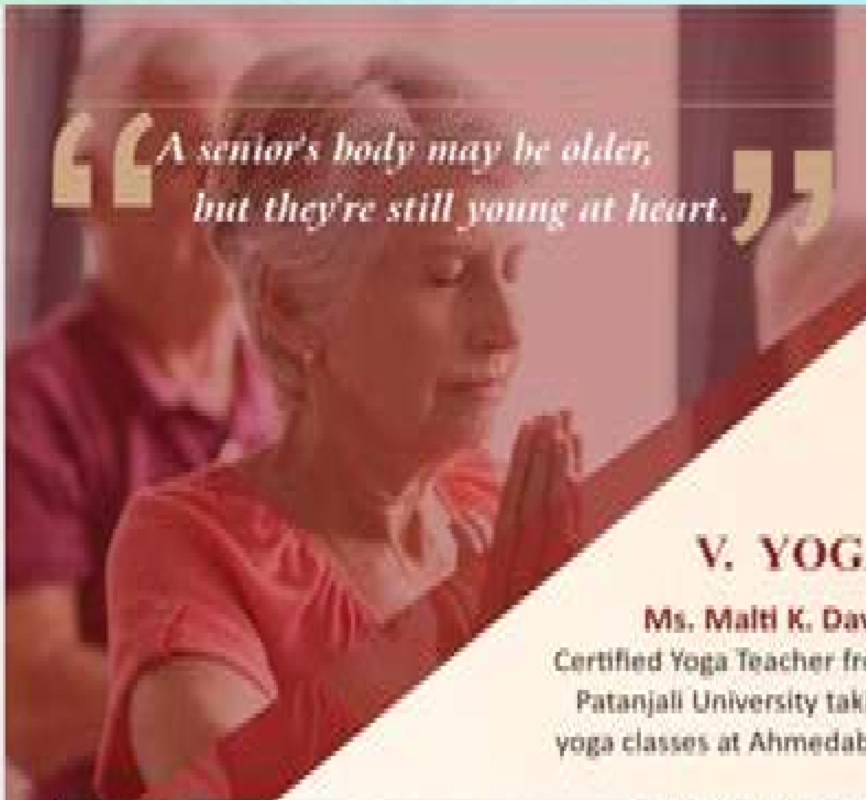

V. YOGA

Ms. Malti K. Dave-
Certified Yoga Teacher from Patanjali University taking yoga classes at Ahmedabad

Recognizing its universal appeal, on 11 December 2014, the United Nations proclaimed 21 June as the International Day of Yoga .

Yoga brings a spiritual prowess and is an important source of exercise and healthy activity For us it is a way to connect the body, mind and soul in a way that has existed for centuries. Considering the same, SFE has started its Yoga Centre in Ahmedabad where SFE run Yoga classes which is free to all.

YOGA CLASSES

RUN BY
SOCIETY FOR EMPOWERMENT- AHMEDABAD

Pl contact K K Dave - A1-104, Aakruti Elegace, Near Godrej Garden City, Tragad road, Behind Nirma University, Off S.G.Highway, Ahmedabad – 382470 M- +91 94265 09946

Skill Development Centre

Kasturba Gandhi Learning Centre- Skill Development Centre
Vullage Shahpur, Block Bela, District Gaya Bihar , India

Subscription Form

I/We would like to subscribe for the "प्रारंभ" Newsletter/ of Society for Empowerment. My / Our Details are as follows:

Name (Individual / Organization):

....

Designation:

....

Address:

....

Mobile No. : ....

Phone: ....

E-Mail Id: ....

I am /we are depositing/ transferring /enclosing a DD of Rs...............................

(Rupees.. Only) in favors of Society for Empowerment.

The Bank Account details are as under:

Bank Detail : Indian Overseas Bank.

Account Number (SB) : 049801000018386

IFSC Code: IOBA0000498.

Branch code : 0498,

Address: Patna Main Branch, Nasseema House, West of Gandhi Maidan, Patna -800001

Place ....

Date ....

Please mail or whatsup this subscription form on the given addressM- 9431878983

Email: societyforempowerment07@gmail.comSignature

Rate of Subscription	**Annual**
Individual (Indian)	**2000/-**
Institutional (Indian)	**5000/-**

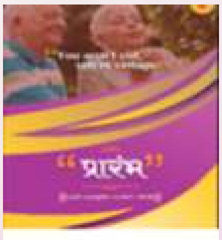

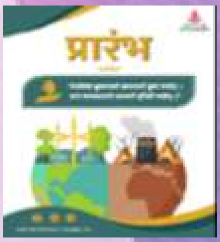

Society For Empowerment

Patna – Bihar – India

Skill Development Centre : Kasturba Gandhi Learning Centre- Skill Development Centre Vullage Shahpur, Block Bela, District Gaya Bihar , India

Email Editorial: snaryan1946@gmail.com
Subscription & Advertisement: societyforempowerment07@gmail.com
Phone- 9431878983
www.sfe.org.in Society For Empowerment – Patna – Bihar – India

Disclaimer: Every effort is made to provide accurate and complete information in "प्रारंभ " newsletters. We also make no claims, promises or guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the contents of the newsletters and expressly disclaims liability for errors and omissions in the contents of this newsletters.

Design by:

RAMA your own ad agency

9825419936 9879419936

ramaads.com